का समाधान खोजने पर विचार-विमर्श कर रही है । समिति ने वर्ष 1990 के दौरान दो बैठकें एक अप्रैल में नई दिल्ली में तथा दूसरी सितम्बर मे मद्रास मे की है । इन बैठकों में इस आशय के संकल्प पारित किये गये कि इन समस्याओं को शांति पूर्ण ढंग से हल करना होगा और राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दे का सौहार्दपूर्ण हल खोजना होगा तथा ऐसा कुछ नहीं किया जाय जिससे देश में पहले से ही भड़की हुई सांप्रदायिक तनाव और भडके ।

राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भावना, और राष्ट्रीय अखंडता को बढावा देने के लिये गृह मंत्रालय में एक योजना चलाई जा रही है जिसके अधीन इस प्रयोजन हेतु स्वयंसेवी संगठनों को देश के विभिन्न भागों में समारोह और गोष्ठिया आयोजित करने के लिये वित्तीय सहायता दी जाती है ।

देश में सांप्रदायिक दंगों की पुनरावृत्ति को रोकने और सांप्रदायिक सद्भावना को बढावा देने को ध्यान मे रखते हुये इस बारे में विस्तृत उपाय किरने के लिये राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अप्रैल, 1990 में दिशा निर्देश जारी किये गये थे । उत्तेजनाजनक भाषण, लेख इत्यादि जिनसे देश मे साप्रदायिकता का माहौल खराब होता हो, की रोकथाम करने के लिये राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अगस्त, 1990 में सुझाव भेजे गये हैं ।

अल्पसख्यको के कल्याण के लिये 15 सूत्री कार्यक्रम के कुछ पहलुओं का गह मंत्रालय प्रबोधन कर रहा है । इनमे विशेष अदालतो को स्थापित करना, दगा पीडितो को राहत देना, अल्पसंख्यको को पुलिस इत्यादि मे भर्ती करना, शामिल है ।

Efficiency bar and promotions in Indian Statistical Service

1471. SHRI ANANT RAM JAISWAL Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Unstarred Question 3102 given in the Rajya Sabha on the 4th September, 1990 and state what was the period of different efficiency bars in Indian Statistical Service, Grade IV and Grade III and also in Junior Administrative Grade as on the 1st December, 1990?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI KAMAL MORARKA): Efficiency Bar is a stage provided in certain scales of pay at which the fitness of the officer to cross it is ascertained before the next increment is released In the Indian Statistical Services, Efficiency Bar is provided only in Grade IV, the scale of pay of which is Rs. 2200-75-2800-EB-1004000.

अहीर और गुर्जर समुदायों को आरक्षण सूची में सम्मिलित किये जाने के संबंध में उप प्रधान मंत्री की घोषणा

1472. श्रीमती सूर्यकांता पाटील :
कुमारी चंद्रिका प्रेमजी केनिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहीर और गुर्जर समुदायों को भी आरक्षण सूची मे सम्मिलित किया जा रहा है जैसा कि उप प्रधान मंत्री, श्री देवी लाल ने हाल मे एक सार्वजनिक सभा में घोषणा की थी ;

(ख) यदि नही, तो इस प्रकार की घोषणा करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त सार्वजनिक सभा मे उप प्रधान मंत्री ने यह घोषणा भी की थी कि आरक्षण का लाभ आर्थिक दृष्टि से पिछड़े व्यक्तियो को भी दिया जाएगा और आरक्षण का यह लाभ एक परिवार को केवल एक बार दिया जाएगा ; और

(घ) यदि हां, तो उसका आधार क्या होगा और यह घोषणा किस नीति के अन्तर्गत की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (घ) प्रश्न मे उल्लिखित जन सभा मे उप प्रधान मत्री ने अहीर और गुर्जर समुदायो सहित अन्य कृषक समुदायो को आरक्षण के लाभ देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा नियुक्त गुरनाम सिह आयोग का हवाला दिया था । यह व्यक्तिगत विचार के प्रकार है ।

सिविल पदो और केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और वित्तीय सस्थाओ मे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गो के लिए नौकरियो मे 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के भारत सरकार के निर्णय (13-8-90 के आदेश में निहित) और मडल आयोग की रिपोर्ट को विभिन्न रिट याचिकाओ के माध्यम से चुनौती दी गई है । जिस पर उच्चतम न्यायालय की सविधान पीठ द्वारा अब सुनवाई की जा रही है । उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि भारत सरकार के उपर्युक्त आदेश के कार्यान्वयन पर कोई कदम न उठाया जाए सिवाय इसके कि जब तक सुनवाई नही की जाती, लाभान्वित होने वाली जातियो का पता लगाया जाए और 13-8-90 के आदेश के कार्यक्षेत्र का विस्तार न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा ।

सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है ।

मंडल आयोग की सिफारिशों के विरोध में किए गए आन्दोलन में हुई जान-माल की क्षति

1473. **श्री प्रभाकर राव कलवला :**

श्री सुरेश कलमाडी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंडल आयोग की सिफारिशो के लागू किए जाने के विरोध में हुए आन्दोलन के परिणामस्वरूप हुई जान-माल की क्षति का ब्यौरा क्या है तथा उन छात्रों के नाम क्या-क्या है जिन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया और जिनकी मृत्यु हो गई थी ;

(ख) क्या सरकार उन परिवारों को, जिन्हे उपर्युक्त अवधि के दौरान जान-माल की क्षति उठानी पडी थी, मुआवजा देने का विचार रखती है ,

(ग) यदि हा, तो कब तक और किस रूप मे तथा मुआवजे की मात्रा कितनी होगी , और

(घ) यदि नही, तो उसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) सभी राज्य सरकारो/सघ शासित क्षेत्रो प्रशासनो से सूचना एकत्र की जा रही है और एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाएगा ।

Parties offered technical know-how by NRDC for manufacturing insecticides

1474. SHRI ASHOK NATH VERMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Starred Question 231 givn in the Rajya Sabha dated 11th August, 1988 and state what are the names of the parties, alongwith products, who have been offered technical know-how by the National Research Development Corporation for manufacturing insecticides, herbicides fungicides, etc and on what terms, product-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI KAMAL MORARKA): The names of the parties alongwith products to whom the know-how for the manufacture of insecticides, herbicides and fungicides has been released by the National Research Development Corporation (NRDC) for commercial production are set out in Enclosure. The technology payments by way of lumpsum premium for these insecticides, herbicides and fungicides have ranged